न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

सोहनी देवी बनाम धर्माराम

५/6/24 नि. फै.

5 5/4 पत्रावली पेश। आई. प्रार्थी हाजिर / कौन्सल
प्र. । के वकील श्री पेश / बावजूद तामील
हाजिर नहीं / अतः अप्रार्थी क्र. 1 के खिलाफ
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
बहस अर्जी एकपक्षीय सुनी गई / बहस मुताबिक
आदेश नहीं / बहस पर मनन किया गया एवं
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। विवादित भूमि पर
प्रार्थी के हित निहित है तथा दौराने वाद
विवादित भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति परिवर्तन
करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं
तथा वाद बाहुल्यता बढ़ने की सम्भावना है।
अतः अप्रार्थीगण को तादौराने वाद विवादित
भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने
हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।
अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया
जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई
निषेधाज्ञा अन्तरिम रूप से पाबन्द किया
जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 554
रकबा 1.05 हैक्टर वाके ग्राम बाजोर पटवार
हल्का बाजोर तहसील व जिला सीकर की
भूमि पर तादौराने वाद रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखें। पत्रावली मिसल मुताबिक होकर
नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर